महत्वपूर्ण

संख्या : शिक्षा–एच(25)बी(15)सामान्य निर्देश
निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश

दिनॉक शिमला–171001, 12-06-2018

सेवा में

1. समस्त उप निदेशक उच्च शिक्षा,
   हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय,हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त जांच अधिकारी,
   उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश।

विषयः– विभागीय जॉच पड़ताल बारे दिशा निर्देश ।

ज्ञापनः

सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः नि.स.शिक्षा/विविध/2018, दिनॉक 07.06.2018 जिसके अर्न्तगत सरकार द्वारा विभागीय जॉच पड़ताल को समय पर पूर्ण न करने बारे कड़ा संज्ञान लिया है । अतः इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते है किः–

1. लम्बित आपराधिक मामलों में बिना बिलम्ब दिनांक 15.06.2018 तक प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई जाए।जिन अपराधिक मामलों में विभागीय जांच चल रही है तथा पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई है उन सभी मामलों में भी तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए तथा 15 जून तक यह रिपोर्ट मिल जानी चाहिए कि सभी आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है।
2. जिन मामलो में विभागीय प्रारम्भिक जॉच लम्बित है, को दैनिक आधार पर निपटारा करके 20.06.2018 तक पूर्ण रिपोर्ट इस निदेशालय को प्रेषित करें।
3. जिन मामलों में विभागीय जाचं कई वर्षो से लम्बित है उन मामलों में तुरन्त जांच पूरी की जाए अन्यथा विभागीय जांच पूरी नहीं करने के लिए अधिकारियों के विरूद्व भी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
4. जिन मामलो में विभागीय जांच CCS(CCA) Rule 1965 के नियम 16 के अर्न्तगत लम्बित है, को भी दैनिक आधार पर निपटारा करके 20.06.2018 तक इस निदेशालय को प्रेषित करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पैसे के गवन के मामले में कहीं नियम 16 के अन्तर्गत आरोप की जांच तो नहीं चल रही है। इन मामलो को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में तुरन्त लाया जाए।
5. जिन कर्मचारियों के विरूद्व वितीय अनियमिताओं हेतू मामले चल रहे हैं तथा वे उसी कार्यालय में कार्यरत है, की सूचना तुरन्त इस निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करवाएं ताकि उनका कार्य स्थान बदला जा सके।
6. जिन कर्मचारियों के विरूद्व POCSO/ sexual harassment at work place के मामले चल रहे हैं तथा वे उसी कार्यालय में कार्यरत है, की सूचना तुरन्त इस निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करवाएं ताकि उनका भी कार्य स्थान बदला जा सके। तथा इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाते समय निवेदन किया जाए कि मामले को IPC की धारा 120 बी के अन्तर्गत लाया जाए।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि मामले में व्यक्तिगत रूची लेते हुए उपरोक्त सूचना को अविलम्ब निदेशालय को उपल्बध करवाएं ताकि समय रहते वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत करवाया जा सके ।

निदेशक उच्च शिक्षा